

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
तृतीय तल, ब्लॉक-बी-4 इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

कमांक 7816 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2014

रायपुर, दिनांक 8-12-14

प्रति

1. अधीक्षण अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मंडल रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर
2. कार्यपालन अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
खंड .....

विषय :- निविदा से संबंधित दिशा निर्देश ।

संदर्भ:- शासन का पत्र कमांक एफ 8-35/2014/34-2/3214/रायपुर दि. 26.11.14

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है, कृपया अवलोकन करें। जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा निविदा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए- "लोक निर्माण विभाग के आदेश क. एफ 5-8/19/2013/निविदा दिनांक 05.08.13 के साथ संलग्न एपेन्डिक्स 1 से 4 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए इनके स्थान पर संदर्भित आदेश में संलग्न दिशा निर्देशों अनुसार 2014 के अनुसार Suspension, Demotion, Non-Renewal & De-Registration of Contractors/Firms में उल्लेखित 1 से कंडिकाएं प्रतिस्थापित करता है। यह आदेश प्रदेश के समस्त निर्माण विभागों के लिए जारी दिनांक प्रभावशील होगा।"

अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियंता द्वारा प्रारूप अनुमोदित

पृ० कमांक 7817 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2014  
प्रतिलिपि:-

मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमुख अभियंता द्वारा प्रारूप अनुमोदित

अधीक्षण अभियंता(प्रशा)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़ रायपुर  
रायपुर दिनांक 8-12-14

अधीक्षण अभियंता(प्रशा)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़ रायपुर

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
तृतीय तल, ब्लॉक-बी-4 इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़

क्रमांक 7729 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2013

रायपुर, दिनांक 4-12-14

प्रति

मुख्य अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
परिक्षेत्र रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर

विषय :- निविदा से संबंधित दिशा निर्देश ।

संदर्भ:- शासन का पत्र क्रमांक एफ 8-35/2014/34-2/3214/रायपुर दि. 26.11.14

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र जो आपके कार्यालय को पृष्ठांकित है की छायाप्रति संलग्न है। कृपया अवलोकन करें। जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा निविदा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए- "लोक निर्माण विभाग के आदेश क्र. एफ 5-8/19/2013/निविदा दिनांक 05.08.13 के साथ संलग्न एपेन्डिक्स 1 से 4 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए इनके स्थान पर संदर्भित आदेश में संलग्न दिशा निर्देशों अनुसार 2014 के अनुसार Suspension, Demotion, Non-Renewal & De-Registration of Contractors/Firms में उल्लेखित 1 से 16 कंडिकाएं प्रतिस्थापित करता है। यह आदेश प्रदेश के समस्त निर्माण विभागों के लिए जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।"

अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए अपने अधीनस्थों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार ।

पृ० क्रमांक 7730 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2013  
प्रतिलिपि:-

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ०ग० शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़ रायपुर  
रायपुर दिनांक 4-12-14

प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़ रायपुर